कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(1)

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर (3)

प्र. क्र.PBR/ निगरानी / ग्वा / भू0राज0 / 2017 / 3584

सूरजसिंह भदौरिया पुत्र श्री कृपालसिंह भदौरिया निवासी ग्राम खेरियाभान बल्देवसिंह का पुरा पुरानी छावनी तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0 ......प्रार्थी

बनाम

1 राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री सरदारसिंह निवासी इन्द्रानगर चार शहर का नाका ग्वा0

2 बिट्टी पुत्री सरदारसिंह निवासी ग्राम रूअर चरनसिंह की हवेली तहसील अम्बाह जिला मुरैना ...प्रतिप्रार्थी

श्री .... द्वारा आज दि. 28.9.17 को प्रस्तुत ... 28.9.17

CF-4-10-17

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय नायब तहसीलदार वृत्त पुरानी छावनी तहसील व जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 16 / 2016-17 अ-12 में पारित आदेश दिनांकी 03.09.2017 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, प्रार्थी के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि ग्राम खेरियाभान तहसील व जिला ग्वालियर में स्थित सर्वे कमांक 52, 56 / 1, 59 / 3 रकवा 12 बीघा भूमि है उक्त भूमि राजस्व अभिलेख मे प्रार्थी के नाम से बहैसियत भूमि स्वामी दर्ज है । तर्थी प्रार्थी अपनी उक्त भूमि पर काबिज होकर अधिपत्यधारी है प्रतिप्रार्थी कमांक-1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम खेरियाभान तहसील व जिला ग्वालियर में स्थित सर्वे कमांक 53 रकवा 1.118हे0 भूमि का सीमांकन कराए जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था प्रतिप्रार्थी कमांक-1 को संपूर्ण भूमि का सीमांकन कराने का अधिकार नही था क्योकि उक्त भूमि में प्रतिप्रार्थी कमांक-1 के अलावा प्रतिप्रार्थी कमांक-2 भी भूमि स्वामी होकर सहखातेदार थी प्रतिप्रार्थी कमांक-2 द्वारा सीमांकन कराए जाने बावत् कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रार्थी कमांक-1 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर संपूर्ण भूमि का सीमांकन कराने का अधिकार न होते हुये भी तथा प्रार्थी जो कि उक्त भूमि का चौमडियॉ कृषक था प्रार्थी को भी सीमांकन कार्यवाही करते समय कोई सूचना पत्र दिये बगैर तथा म0प्र0भूराजस्व संहिता

(2)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भूरा/2017/3584

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-9-18	आवेदक अधिवक्ता श्री जगदीश श्रीवास्तव उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री एन0डी0शर्मा उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि सीमांकन में आवेदक को बगैर बुलाये मौके पर सीमांकन किया गया है जिसके आधार पर अनावेदक आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 250 का प्रकरण प्रस्तुत करना चाहता है । अनावेदक अधिवक्ता ने बताया कि इस सीमांकन में आवेदक की भूमि का कोई हिस्सा अवैध कब्जे में नहीं निकला है । अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 250 का कोई प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अत: इस सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 की कोई कार्यवाही अनावेदक द्वारा नहीं की गई है । उपरोक्तानुसार यह निगरानी निरर्थक हो जाने से समाप्त की जाती है । अध्यक्ष रीडर	